कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म०प्र०)

कार्यालय दूरभाष नं.– 07662–241655 ई–मेल– deanmcrewa@rediffmail.com
फैक्स न.– 07662–251167 वेबसाइट–www.ssmcrewa.com

क्रमांक ..2853.../स्था/राज/एमसी/2023 रीवा, दिनांक ...31/1/23

//आदेश//

कार्यालयीन विज्ञप्ति क्र. 1950/स्था/राज/एमसी/विज्ञप्त/2023, रीवा, दिनांक 19.01.2023 के अनुक्रम में दिनांक 27.01.2023 को संपन्न साक्षात्कार में चयन समिति की अनुशंसानुसार निम्नलिखित अभ्यर्थियों की नियुक्ति स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा में उनके नाम के समक्ष दर्शित विभाग में **जूनियर रेसीडेंट** के पद पर स्टायपेंड रू. 56,355/– प्रतिमाह में निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जाती है:–

स. क्र.	उम्मीदवार का नाम, पिता/पति का नाम एवं पता	आवेदक की श्रेणी	विभाग	चयनित श्रेणी	रिमार्क
1.	डॉ. पिंकी सिंह गौतम, पति डॉ. सिद्धार्थ सिंह बघेल, **पता:–** डॉ. धीरेन्द्र सिंह कॉम्पलेक्स, वार्ड नं. 08, मेन मार्केट रोड, रामपुर बाघेलान, सतना (म.प्र.), पिन 485115	अनारक्षित	ओटो राइनो लैरिंगोलॉजी (ई.एन.टी.)	अन्य पिछड़ा वर्ग के विरूद्ध	विज्ञापित श्रेणी का उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने के कारण

शर्तें:–

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है, जो तीन वर्ष की टेन्युवर अवधि के लिए प्रथमतः एक वर्ष के लिये होगी।
2. नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से **07 दिवस** के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा। कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कम से कम 03 माह तक सेवाएं दिया जाना आवश्यक होगा, 03 माह पूर्व सेवा से त्याग पत्र दिए जाने की स्थिति में 03 माह के बराबर की वेतन राशि जमा करना होगा।
3. उच्च अध्ययन हेतु प्रवेश लेने के कारण त्याग पत्र देने की स्थिति में 03 माह के स्थान पर 01 माह के बराबर की वेतन राशि जमा करना होगी। इस हेतु उच्च अध्ययन में प्रवेश से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
4. एक वर्ष पश्चात् विभागाध्यक्ष से सन्तोषजनक कार्य–व्यवहार की सूचना के आधार पर पुनः 12 माह के लिए कार्यकाल बढाया जा सकेगा।
5. तीन वर्ष के टेन्युवर अवधि उपरांत सेवायें स्वयमेव समाप्त हो जावेगी ।
6. कार्य एवं व्यवहार के संबंध में विभागाध्यक्ष से प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त होने पर बिना किसी पूर्व सूचना के इनकी सेवायें समाप्त की जा सकेगी एवं पुनर्नियुक्ति हेतु आवेदन करने का अधिकार नहीं होगा ।
7. निजी व्यवसाय (Private practice) करने की अनुमति नहीं होगी ।
8. कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के व्यय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा एवं परीक्षण संबंधी उपयुक्तता का प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
9. यह नियुक्ति स्वशासी संस्था की सेवा शर्तों के अधीन होगी। कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत संस्था द्वारा किसी भी समय एक माह की अग्रिम सूचना देकर या उसके एवज में एक माह का अग्रिम वेतन देकर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

क्रमशः पेज...02

10. इन नियमों के अधीन नियुक्त व्यक्ति को एक कलेण्डर वर्ष में 12 दिवस का आकस्मिक अवकाश एवं सप्ताह में एक दिन के अवकाश की पात्रता होगी तथा यह अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश तथा ग्रीष्मावकाश देय नहीं होगें, तथा निर्धारित अवकाश पात्रता के अतिरिक्त कर्तव्य से अनाधिकृत अनुपस्थित रहने की दशा में बिना किसी पूर्व सूचना के सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
11. पेंशन एवं तत्संबधी कोई लाभ देय नहीं होगा।
12. नियुक्ति की अवधि में मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधान लागू रहेंगे।
13. नियुक्ति की अवधि में मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता की पूर्वानुमति के बिना नौकरी, प्रतियोगी परीक्षा अथवा किसी पाठ्यक्रम में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की पात्रता नहीं होगी।
14. पूर्व से शासकीय सेवा में होने की स्थिति में उपस्थिति के समय पूर्व नियोक्ता का कार्यमुक्ति आदेश/सेवा से त्याग पत्र, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
15. यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप सेवा के अयोग्य पाए जाए जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी। इस आशय का सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एफ.सी. 3–15/2012/1/3, दिनांक 24.11.2012 के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
16. कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व व्यावसायिक परीक्षा मण्डल अथवा पी.एम.टी., यू.जी एवं पी.जी. किसी भी स्तर पर एस.टी.एफ/सी.बी.आई. आदि की जांच लंबित नहीं होने का भापथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
17. कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक माह के अंदर म.प्र. मेडिकल काउंसिल भोपाल/एम.सी.आई. का रजिस्ट्रेशन जमा करने संबंधी भापथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
18. संस्था की आवश्यकतानुसार अस्थाई रूप से कार्य करने हेतु अन्य विभाग में ड्यूटी लगाई जा सकेगी।
19. कोविड–19 महामारी को देखते हुये आवश्यकता अनुसार कोविड–19 वार्डों में विशेषज्ञता/योग्यतानुसार ड्यूटी लगायी जा सकेगी।

नोट–इस नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग संबंधी प्रावधानों का पालन किया गया है।

(डॉ. देवेश सारस्वत)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

पृ.क्र............................/स्था/राज/एमसी/2023, रीवा, दिनांक ....

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल।
2. आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा एवं अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा म.प्र.।
3. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गाँधी स्मारक चिकित्सालय, रीवा।
4. विभागाध्यक्ष, ओटो राइनो लैरिंगोलॉजी (ई.एन.टी.) विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा।
5. अनुभाग लेखा शाखा की ओर भेजकर लेख है कि संबंधित सीनियर रेसीडेंट की शिष्यावृत्ति भुगतान मांग संख्या 52–2210–05–105–8888 चिकित्सा शिक्षा, 4968 चिकित्सा महाविद्यालय –42 सहायक अनुदान–002, अन्य में विकलनीय होगी।
6. संबंधित की ओर वास्ते पालनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)